उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एंव सुधार अनुभाग-4
संख्या-50/2020/1132/22-4-2020-48(37)/19
लखनऊ : दिनांक- 29 दिसम्बर, 2020

शुद्धि पत्र

जिला कारागार, बस्ती में कैम्पस बाउण्ड्रीवाल के निर्माण की अवशेष धनराशि में से प्रश्नगत निर्माण की स्वीकृत लागत रू0 326.71 लाख की 20 प्रतिशत धनराशि रू0 65.34 लाख की वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या-34/2020/1032/22-4-2020-48(37)/18, दिनांक-23.12.2020 में अंकित "इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20" के स्थान पर "इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21" पढ़ा जाय। शासनादेश दिनांक-23 दिसम्बर, 2020 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-50/2020 /1132(1)/22-4-2020-तददिनांकित-
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
(5) जिलाधिकारी, बस्ती।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(9) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in